9/1/2026
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दौगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते पेश दिनांक 13/02/2026 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

13/2/2026
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दौगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते पेश दिनांक 20/2/26 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

अपील सं. 3 की ओर से पत्र पेश करने की अवधि दे दिया गया है।

20/2/2026
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दौगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते पेश दिनांक 11/3/2026 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

11/3/2026
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दौगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते पेश दिनांक 25/3/26 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

25/3/2026
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दौगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते पेश दिनांक 16/4/26 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

16/4/2026 मौल तरफी घोषित। अपीलार्थी केवल 1, 2, घोषित करी। बार-बार आवाज लगाई गई घोषित करी। छठ तरफा कार्यवाही की जाती है। अपीलार्थी केवल 03 की ओर से की गयी पत्र का अधिकार पत्र कुल वाद में पेश है। मौजे हस्तक्षेप हेतु विवेचन किया जो स्वीकार किया

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

App-A
Crm-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ———— मुकाम ————

गोवर्धन ———— बनाम ———— गोटी लाल

किस्म मुकदमा ———— नं. 25 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	पाबंद बंधन भूमी गई। संलग्नित में विवरण प्रकार है कि मौजा पुतिया स्थित 90 पु० पुतिया स्थित की आ०क्र० 231 रकबा 0.80 हेक्टेयर स्थित है जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसके खाता आ०क्र० 202 के बराबर है। जिसके खातेदार नन्दा के विपरीत नया खाता बनाया है जिसके अतार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के परवलदारी करते है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा चाहते हेतु निवेदन किया। अभिलेख संलग्न फाइल का अवलोकन किया कि भूमि बंधन पर मनन किया। प्रथम दृष्टया आवेदन, भूमिया जब्तशुदा व अनुचित प्रति प्रार्थीगण के पक्ष बनता है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक उपयुक्त मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। एकतरफा ex parte time बराबर के रूप में है। आदेश सुनाया गया।	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़